"समान पद समान पेंशन" संबंधी समिति की सिफारिशें

*272. **श्री अजीत जोगी :**
श्री राजूभाई ए० परमार :

क्या रक्षा मंत्री 27 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 478 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "समान पद पेंशन" की मांग की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या सरकार समूचे प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उक्त प्रतिवेदन को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ; और

(ङ) सरकार रक्षा पेंशन भोगियों को और क्या-क्या सुविधायें दे रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) सरकार ने अधिकार प्राप्त उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई सर्वसम्मत सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार कर लिया है । इस संबंध में सरकारी आदेश 16-3-1992 को जारी किए जा चुके हैं ।

उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा भूतपूर्व सैनिकों को दी गई अन्य सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशें

अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की है :—

सिपाही पेंशनर

(1) 15 से 17 वर्ष तक की सेव पूरी करके 1-1-1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सिपाहियों की पेंशन दरें उन्हें 18 वर्ष की अर्हक सेवा का लाभ देकर संशोधित कर दी जाएं । दूसरे शब्दों में 1-1-1986 के पश्चात् सेवानिवृत हुए उन सिपाही पेंशनरों, जिन्होंने 15 से 17 वर्ष तक सेवा की है, को भी 18 वर्ष तक सेवा करने वाले सिपाहियों के बराबर ही पेंशन दी जाए ।

(2) 1-1-1973 से पहले सेवा-निवृत्त हुए सिपाहियों की पेंशन 1-1-1973 को या उसके तुरंत बाद सेवा-निवृत्त सिपाहियों की पेंशन के बराबर ला दी जाए और इसके बाद 1-1-1986 से पहले सेवानिवृत्त सभी सिपाहियों की पेंशन की राशि बढ़ाकर उस स्तर पर ला दी जाए जो 1-1-1986 के बाद और 1-1-1973 के बाद सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन की दरों के बीच के अंतर को 95 प्रतिशत तक पूरा कर देगी । इस प्रकार निर्धारित की गई पेंशन और मौजूदा पेंशन के बीच के अंतर की राशि एक बार वृद्धि के रूप में दी जाए ।

2. गैर-कमीशन-प्राप्त अफसर/जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर/आनरेरी कमीशन-प्राप्त अफसर

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पेंशन में तदर्थ अनुग्रहपूर्वक वृद्धि के बराबर राशि को पेंशन में एक बार की वृद्धि के रूप में मंजूर कर दिया जाए ।

3. 3 कर्नल से नीचे रैंक के कमीशन प्राप्त-अफसर

लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक के 1-1-1973 से पूर्व सेवानिवृत्त अफसरों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय स्वीकृत मूल पेंशन, 1-1-1973 को अथवा इसके तत्काल बाद सेवानिवृत्त हुए अफसरों की स्वीकृति मूल पेंशन के बराबर कर दी जाए । 1-1-1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अफसरों की उपर्युक्ततानुसार बढाई गई मूल पेंशन तथा 1-1-1973 से 31-12-1985 तक के बीच सेवानिवृत्त हुए अफसरों की मूल पेंशन को 33 वर्ष की अर्हक सेवा का लाभ देते हुए और बढ़ा दिया जाए । इसके बाद चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाए अनुसा

संशोधित समेकित पेंशन का निर्धारण किया जाए। इस प्रकार आंकी गई संशोधित समेकित पेंशन और वर्तमान पेंशन के बीच का अंतर पेंशन में एक बार की वृद्धि के रूप में मंजूर कर लिया जाए।

कर्नल और उससे ऊपर के अफसर

4. इन रैंकों में 1.1.1973 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अफसरों की वर्तमान पेंशन 1.1.1973 अथवा उसके तत्काल बाद सेवानिवृत्त हुए अफसरों की पेंशन के बराबर कर दी जाए।

5. 1-6-1953 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिक

सभी रैंकों में 1.6.1953 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की पेंशन में भी ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार संशोधन किया जाए तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा इस बारे में समुचित अनुदेश जारी किए जाएं।

6. अन्य सिद्धांत

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन में तदर्थ वृद्धि की योजना में शामिल अन्य सभी सिद्धान्त पेंशन में एक बार की वृद्धि मंजूर करने के लिए वर्तमान प्रस्तावित स्कीम पर लागू होंगे।

7. दिवंगत रिजर्विस्टों के परिवारों को अनुग्रह परिवार पेंशन

जिन रिजर्विस्टों ने एक बार एकमुश्त उपदान की राशि के भुगतान के लिए विकल्प दिया था, उनके परिवारों को 150 रुपए प्रतिमाह की अनुग्रह परिवार पेंशन मंजूर का जाए, जैसा कि अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने वाले जो कार्मिक मर गए हैं, उनके परिवारों के मामले में किया जा रहा है। सरकारी आदेश 30.3.92 को जारी कर दिए गए हैं।

8. अधिक लाभकारी परिवार पेंशन प्राप्त करने का विकल्प

दो पेंशन प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को दोनों परिवार पेंशनों में से अधिक राशि वाली पेंशन का विकल्प देने का अधिकार दिया जाए।

9. त्वरित क्रियान्वयन

रक्षा मंत्रालय प्रस्तावित योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

10. विश्वयुद्ध के सेनानी

रक्षा मंत्रालय प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानियों को समुचित राहत प्रदान करने के मामले पर विस्तारपूर्वक विचार करेगा।

11. भूतपूर्व सैनिकों की अन्य समस्यायें

रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिकों की शेष समस्याओं पर समयबद्ध आधार पर विचार करने और उनका उपयुक्त हल सुझाने के लिए एक उपयुक्त समिति का गठन करेंगे।

12. लागू होने की तारीख

अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय समिति की इन सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप बढ़े हुए लाभ 1 जनवरी, 1992 से दिए जाएं।

(ख) सशस्त्र सेना पेंशनरों को दी गई सुविधाओं/रियायतों का ब्यौरा

सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों को व्यापक रूप से सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक उपाय किए जा रहे है। कुछ प्रमुख सुविधाएं और रियायतें इस प्रकार है:-

(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की पात्रता।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की दक्षता में सुधार लाने के लिए उनके लिए बनाई गई प्रशिक्षण योजनाओं म से किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता।

(ग) अनेक योजनाओं के तहत, जिनमें सेमफैक्स–1, सेमफैक्स–2 और सेमफैक्स–3 प्रमुख हैं, स्व-रोजगार कार्य शुरू करने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता । पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का आबंटन, यनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एजसियों का आबंटन, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन एजेंसियों के आबंटन आदि जैसी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ये पेंशनर भी प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) सैनिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(ङ) कैंटीन-सुविधाएं।

(च) आवश्यकता होने पर, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सेना मुख्यालयों और अन्य संठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता।

(छ) युद्ध में निशक्त हुए पेंशनरों के बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें दी जाती हैं जैसे प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों, छात्रावास प्रभार और किताबों तथा अन्य लेखन-सामग्री की मदों की कीमत और वर्दी की कीमत आदि में पूरी तरह छूट दिया जाना।

(ज) निशक्त/युद्ध में घायल पेंशनरों को कृत्रिम अंग और शल्य-क्रिया उपकरण निःशुल्क प्रदान करना।

(झ) जो नेत्रहीन पेंशनर सैन्य सेवा के कारण नेत्रहीन हुए हों उन्हें प्रतिमाह 50 रुपये की विशेष पेंशन।

(ट) युद्ध में घायल पेंशनरों के उपयुक्त मामलों में सतत परिचर्या भत्ता दिया जाता है चाहे उनका रैंक कुछ भी हो।

(ठ) इसके अतिरिक्त इन पेंशनरों के लाभ के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनेक अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन इनकी स्थिति हर राज्य में अलग-अलग है।

वाहन फैक्टरी, जबलपुर द्वारा निर्मित वाहन

*273. **श्री शिव प्रसाद चक्रपुरिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990–91 के दौरान वाहन निर्माणी (वाहन फैक्टरी) जबलपुर ने कितने शक्तिमान ट्रक और कितनी जोंगा जीपें निर्मित की थीं;

(ख) उक्त फैक्टरी द्वारा निर्मित ऐसे कितने वाहन विदेशों को निर्यात किए गये और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वे निर्यात किए गये;

(ग) वर्ष 1991 तक ऐसे वाहनों के निर्माण में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी थी ;

(घ) ऐसे वाहनों में कितने प्रतिशत विदेशी उपस्करों का उपयोग किया जाता है; और

(ङ) इन वाहनों को विदेशों में बेचने से भारत को कितना मुनाफा हुआ है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क)

	1988–89	1989–90	1990–91
शक्तिमान ट्रक	4,004	3,470	3,449
जोंगा जीप	1,200	865	1,071